मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./6201/एनआरईजीएस-म.प्र./स्था./एनआर-2/10 भोपाल दिनांक 22.06.10

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला पंचायत .... समस्त
मध्यप्रदेश

विषय :- वरिष्ठ कार्यालय में पत्राचार के संबंध में

प्रायः देखा जा रहा है कि जिला/जनपद पंचायतों में पदस्थ अमले द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत की जानकारी में लाये बगैर (उचित माध्यम) ही व्यक्तिगत रूप से सीधे परिषद मुख्यालय/मान. मंत्रीगण को पत्राचार किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्तिगत आवेदन भी पदस्थी कार्यालय से परिषद मुख्यालय को/मान. मंत्रीगण को डिस्पेच किये जाते है।

उल्लेखनीय है कि संभाग/जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. अंतर्गत जिला/जनपद पंचायत में अमले की प्रतिनियुक्ति/संविदा पर पदस्थापना संभागायुक्त/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति में संभागायुक्त/जिला कार्यक्रम समन्वयक अथवा अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से पत्राचार न करते हुए अमले द्वारा परिषद मुख्यालय से सीधे पत्राचार किया जाता है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है।

अतः भविष्य में ध्यान रखा जाए कि संभागायुक्त/ जिला कार्यक्रम समन्वयक/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी की टीप अनुसार परिषद मुख्यालय/माननीय जनप्रतिनिधिगण को भेजा जावें।

निर्देशित किया जाता है कि म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद के जिला/संभाग स्तर पर पदस्थ अमले द्वारा परिषद से सीधे पत्राचार न करते हुये उचित माध्यम द्वारा ही किया जावें।

अमले द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने पर इस कृत्य को कदाचार की श्रेणी मानते हुये उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अत. एमजीएनआरईजीएस-म.प्र. अंतर्गत पदस्थ समस्त अमले को पालन करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

15/6/10

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्र./ /एनआरईजीएस/स्था./एनआर-2/10 भोपाल दिनांक .06.10

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त .... (समस्त) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला .... समस्त की ओर सादर सूचनार्थ।

15/6/10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

Letter-pl
9-